



JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA

(An Autonomous Organisation under Ministry of Human Resource Development,
Govt. of India. Dept of Higher Education)

BASMATHNAGAR POST, DIST. HINGOLI, M.S. PIN 431 512

संदर्भ क.एफ/निविदा/जनविब/2016-17/

दिनांक :

प्रति,

// फर्निचर //

अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा " फर्निचर " की आपूर्ति साथ पंजीकृत सीलबंद निविदा जवाहर नवोदय विद्यालय वसमतनगर, जि. हिंगोली को दिनांक 12/01/2017 को 05.00 बजे तक जमा करें । निविदा सीलबंद चीह्नित " फर्निचर " आपूर्ति करने के हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता को निर्धारित करार पर के तहत पंजीकृत डाक द्वारा एवं प्रत्यक्षरूप से लिया जायेगा । डाकद्वारा विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कोरे निविदा फार्म विद्यालय में दिनांक 28/12/2016 से 12/01/2017 तक दोपहर 05.00 बजे तक वितरण किए जाएंगे । पूर्णरूप से दर दर्ज किए गए निविदा फार्म संविदा परिच्छेद क. 1 से 25 में उल्लेखित सेवा शर्तों के तहत जमा किया जाये अन्यथा किये गये संविदा का आशय सहमति में समझा जायेगा । दिनांक 13/01/2017 को दोपहर 5.00 बजेतक रजिस्टर्ड पोस्ट और प्रत्यक्षरूप से स्वीकार किया जायेगा । निविदा दिनांक 16/01/2017 को सुबह 11.45 बजे निविदाधारक के समक्ष खोला जायेगा ।

1. सप्लाय किये जाने वाले फर्निचर का मूल्य आयकर, बिक्रीकर , भाडा व अन्य करों को समाहित करके होना चाहिए । जो भी फर्निचर संविदा के तहत विद्यालय को दिया जायेगा उसकी टैक्स संबंधी सारी जिम्मेदारी संविदाधारक की अपनी होगी । विद्यालय उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा । फर्निचर अपने खर्चसे विद्यालय में पोहोचना जाना चाहिए ।
2. फर्निचर के सूची में किसी भी प्रकार की काटपीट व संशोधन नहीं होना चाहिए । यदि किसी प्रकार की काटछोट हुई हैं या संख्या पठनीय नहीं हैं, तो उसी संख्या को पुनः किसी काट छोट व संशोधन के लिख दिया जाना चाहिए ।
3. अधोहस्ताक्षरकर्ता न्युनतम निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है और यह भी अधिकारी है कि सूचीबद्ध संविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप में स्वीकार करें जैसा वह निर्णय लें ।
4. निविदा स्वीकृति एक प्रकार का करार है और करारधारक दिये गये निविदाकी शर्तों को मानने के लिए बाध्य हैं ।
5. धनराशि रू. 5000/-के खाते में अर्नेस्ट मनी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जवाहर नवोदय विद्यालय, वसमतनगर, भारतीय स्टेट बैंक , वसमतनगर तथा अन्य शेड्युल्ड बैंक में देय हों । प्राप्त रसीद व ड्राफ्ट टैंडर और दरसूची के निविदा विद्यालय को जमा करते समय संलग्न करना होगा ।
6. जिन व्यक्ति /व्यक्तियों का मूल्यसूची (कोटेशन) स्वीकृत होगा उन्हें ठेकेदार या संविदाकार कहा जायेगा उन्हें 20,000/-राशी सुरक्षित राशी के रूप में (सेक्युरिटी डीपॉजिट) जमा करना होगा । अर्नेस्ट मनी को सेक्युरिटी मनी के रूप में समायोजित नहीं किया जायेगा । अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को संविदा भंग के समय जप्त कर दिया जाएगा ।
7. सूचीबद्ध फर्निचर की मात्रा कम या ज्यादा करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा । जो कि बिना किसी सूचना या कारण के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं ।